निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
585 / 2024	23.09.2024	12/2/26

1. रामविलासी पत्नी बाबूलाल, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
2. मीरा पत्नी महेश कुमार, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर —वादीगण

बनाम

1. कालीचरण पुत्र धन्ना, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
2. अनिता पुत्री नेहरू पत्नी धारासिंह, मीना निवासी मेंडी हॉल निवासी कॉचरोदा तह0 सपोटरा
3. सुनीता पुत्री नेहरू पत्नी अनिल, मीना निवासी मेंडी हॉल निवासी कोंडर तह. करौली
4. अमृत बाई पत्नी नेहरू , मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
5. हरकेश पुत्र टुण्डा, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
6. बचन सिंह पुत्र गिर्राज, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
7. सुगरसिंह पुत्र गिर्राज, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
8. गोविन्द पुत्र गिर्राज, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर
10. स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा मेडी जरिए शाखा प्रबन्धक —प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 1043 रकबा 0.51 है0, ख0न0 1062 रकबा 0.40 है0, ख0न0 1063 रकबा 0.32 है0 ग्राम मेंडी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका पक्षकारान ने मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार विभाजन कर रखा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज है। वादपत्र मे वर्णित उपरोक्त भूमि मे वादी संख्या 1 का 2/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा है। मौके पर मौखिक विभाजन के अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है। मौखिक विभाजन के अनुसार वादीगण ख0न0 1043 रकबा 0.51 है0 मे से 0.41 है0 भूमि पर काबिज है परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:50 IST
Reason: Self Attested

पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण ने वादीगण को अनावश्यक रूप से परेशान करना प्रारम्भ कर दिया है एवं वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे दखल अंदाजी करना प्रारम्भ कर दिया हैं। पूछने पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.9.24 को धमकी दी कि हम मौखिक विभाजन को नही मानते है। वादीगण द्वारा पिछले 20 वर्ष से चले आ रहे मौखिक विभाजन के बारे मे बात करने पर प्रतिवादीगण ने भूमि का पुनः विभाजन करवाने हेतु वादीगण से कहा। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 1043 रकबा 0.51 है0, ख0न0 1062 रकबा 0.40 है0, ख0न0 1063 रकबा 0.32 है0 ग्राम मेडी का मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण के नाम 1/3 हिस्से का संयुक्त खाता पृथक से कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग मे कोई बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 9 लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जबाब दावा प्रस्तुत किया है जो पत्रावली मे संलग्न है।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 337 ग्राम मेडी व नकल नक्शा ट्रेस की छायाप्रति प्रस्तुत किये है।

दिनांक 04.12.2025 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से पत्रांक भूअ/2025/90 दिनांक 05.02.2026 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई। जो पत्रावली मे संलग्न है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का तथा तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी [illegible] डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त [illegible] स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन कि[illegible] जाता है।

1. मीरा पत्नी महेश चंद हि0 1/3 [illegible] स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मेडी जाति मीना सा0 देह, रामगिलास पत्नी बाबू[illegible] हि0 2/3 जाति मीना सा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:37:50 IST
Reason: SelfAttested

देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1043/1 रकबा 0.41 है0 ग्राम मैडी रहेगी।

2. कालीचरण पुत्र धन्ना हि0 1/2 राहिन एसबीबाई शाखा मेडी जाति मीना सा. देह खातेदार, 2. अनीता पुत्री नेहरू हि0 1/6 जाति मीना, सा. देह, 3. अमृत बाई पत्नी नेहरू हि0 1/6 जाति मीना सा. देह खातेदार, 4. सुनीता पुत्री नेहरू हि0 1/6 जाति मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1043/2 रकबा 0.10 है0, 1062 रकबा 0.40 है0, ख0न0 1063 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.82 है0 ग्राम मैडी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर वजीरपुर

(सुधारानी मीना)

उप जिला कलक्टर

वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:50 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. रामगिलासी पत्नी बाबूलाल, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
2. मीरा पत्नी महेश कुमार, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर ——वादीगण

बनाम

1. कालीचरण पुत्र धन्ना, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
2. अनिता पुत्री नेहरू पत्नी धारासिंह, मीना निवासी मेंडी हॉल निवासी कॉचरोदा तह0 सपोटरा
3. सुनीता पुत्री नेहरू पत्नी अनिल, मीना निवासी मेंडी हॉल निवासी कोंडर तह. करौली
4. अमृत बाई पत्नी नेहरू , मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
5. हरकेश पुत्र टुण्डा, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
6. बचन सिंह पुत्र गिर्राज, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
7. सुगरसिंह पुत्र गिर्राज, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
8. गोविन्द पुत्र गिर्राज, मीना निवासी मेंडी तह0 वजीरपुर
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर
10. स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा मेडी जरिए शाखा प्रबन्धक ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 585/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. मीरा पत्नी महेश चंद हि0 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मेडी जाति मीना सा0 देह, रामगिलास पत्नी बाबूलाल हि0 2/3 जाति मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1043/1 रकबा 0.41 है0 ग्राम मैडी रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:50 IST
Reason: SelfAttested

2. कालीचरण पुत्र धन्ना हि0 1/2 राहिन एसबीआई शाखा मेडी जाति मीना सा. देह खातेदार, 2. अनीता पुत्री नेहरू हि0 1/6 जाति मीना, सा. देह, 3. अमृत बाई पत्नी नेहरू हि0 1/6 जाति मीना सा. देह खातेदार, 4. सुनीता पुत्री नेहरू हि0 1/6 जाति मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि

ख0न0 1043/2 रकबा 0.10 है0, 1062 रकबा 0.40 है0, ख0न0 1063 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.82 है0 ग्राम मैडी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पुर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/26 को जारी किया गया।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:50 IST
Reason: SelfAttested